राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302005
दूरभाष सं0 0141-2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई-मेल dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः-प.2(च)( )जॉच/डीएलबी/2021/1298 दिनांकः 09-04-2021

-: आदेश :-

श्रीमती अन्जना देवी पत्नि श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर (वार्ड नं0 23) के विरूद्ध दो से अधिक संतान होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच करायी गई। जांच रिपोर्ट में श्रीमति अन्जना देवी पत्नि श्री नन्द किशोर शर्मा को दोषी पाये जाने पर विभाग द्वारा श्रीमति अन्जना देवी पत्नि श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर को नोटिस क्रमांक प. 2(क)( )जांच/ डीएलबी/2021/दिनांक 899 दिनांक 19.03.2021 जारी कर उक्त सदस्या का स्पष्टीकरण चाहा गया, परन्तु श्रीमति अन्जना देवी पत्नि श्री नन्द किशोर शर्मा द्वारा विभाग को कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया। जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार श्रीमति अन्जना देवी पत्नि श्री नन्द किशोर शर्मा को दिनांक 27.11.1995 के पश्चात् दो से अधिक 5वीं सन्तान होना पाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत न्यायिक जॉच करवायें जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण न्यायिक जांच हेतु भिजवाया गया है। श्रीमती अन्जना देवी पत्नि श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर (वार्ड नं0 23) के पद पर बने रहने से न्यायिक जॉच प्रभावित किये जाने की संभावना है।

अतः श्रीमती अन्जना देवी पत्नि श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर (वार्ड नं0. 23) के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के खण्ड (xvii) के तहत आरोप प्रथम दृष्ट्या सही पाये जाने के कारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा श्रीमती अन्जना देवी पत्नि श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर (वार्ड नं0 23) को न्यायिक जांच समाप्ति तथा अन्तिम आदेश पारित होने तक के लिए वर्तमान नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर की सदस्यता से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-
(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः-प.2(च)( )जॉच/डीएलबी/2021/1299-1308 दिनांकः 09-04-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के भाग 6(क) के आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ।
02. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, सीकर।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
07. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय, को भेजकर लेख है कि प्रकरण में केवियट दायर करावें।
08. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, श्रीमाधोपुर।
09. श्रीमती अन्जना देवी पत्नि श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर (वार्ड नं0 23) श्रीमाधोपुर।
10. सुरक्षित पत्रावली।

9/4/21
(संजय देवल)
सहायक निदेशक (सतर्कता)